न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री अजीतसिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 098/2023

फकीर पुत्र मोहम्मद अली जाति मुसलमान
निवासी सांवा, तहसील सेडवा
जिला बाडमेर

अपीलाण्ट...

ब ना म

1. कोयली देवी पत्नी धनाराम विश्नोई
2. आमद अली पुत्र मताराम फौत के कायममुकामान–
   2.1. गुलाम पुत्र आमद अली
   2.2. कलीमला पुत्र आमद अली
   2.3. रफीक पुत्र आमद अली
   2.4. सफुरा पत्नी आमद अली
3. हुसैन पुत्र मतारा
4. रमजान पुत्र हसन (नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता कायमी पत्नी हसन)
5. शोभन पुत्र हसन (नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता कायमी पत्नी हसन)
6. मंजूर पुत्र हसन (नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता कायमी पत्नी हसन)
7. कायमी पत्नी हसन
8. जोगाराम पुत्र थानाराम जाति जाट
9. बाबूलाल पुत्र थानाराम जाति जाट
10. लाखराम पुत्र पोकर
11. धनाराम पुत्र पोकर
12. चूंखीदेवी पत्नी भाख्याराम जातियान विश्नोई
13. अली खां पुत्र असरफ
14. मोहम्मद बशीर पुत्र असरफ
15. दाउ खां पुत्र अली खां
16. भूराराम पुत्र नानगा जाति जाट
17. भाखरा पुत्र पोकर
18. धना पुत्र पोकर
    जातियान विश्नोई, निवासी एहसान का तलां
19. सुलेमान पुत्र मताराम
20. हारून पुत्र वली मोहम्मद
21. सजन पुत्र वली मोहम्मद
22. भागी पत्नी वली मोहम्मद
23. अली पुत्र धारियाखान
24. तैयब पुत्र धारियाखान
25. मु. आबी बेवा फता
    जातियान मुसलमान, निवासी तहसील सेडवा

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

जिला बाडमेर
26. राजी पत्नी मुकनाराम
27. पार्वती पत्नी लाधूराम
28. हडमान पुत्र मुकना
29. मोहन पुत्र मुकना
30. पोकर पुत्र रामु जातियान विश्नोई
31. मीरगो पत्नी बागाराम
32. दमी पत्नी भेराराम
33. चतरू पत्नी कोजाराम
34. नथू पत्नी पोकरराम
35. बागाराम पुत्र विरधाराम
36. भेराराम पुत्र विरधाराम
37. कोजाराम पुत्र विरधाराम
38. पोकरराम पुत्र विरधाराम
    जातियान कुंभार, निवासी सदराम की बेरी
39. कयूम पुत्र उरस
40. अलीखांन पुत्र उरस
41. गुलशन पुत्र उरस
42. अली खां पुत्र दरिया खां
    जातियान मुसलमान, निवासी सांवा
    तहसील सेडवा, जिल बाडमेर
43. हसीना पत्नी महमद पठान उर्फ मोहम्मद अली
44. समिना पुत्री महमद पठान उर्फ मोहम्मद अली पत्नी कलीम शेख
45. अमजद पुत्र महमद पठान उर्फ मोहम्मद अली
46. अमिना पुत्री महमद पठान उर्फ मोहम्मद अली पत्नी इलियाज पठान
    जातियान मुसलमान, निवासी थोरगवहाण
    पोस्ट मनवेल तालुका यावल, जिला जलगांव (महाराष्ट्र)
47. ग्राम पंचायत सांव जरिये सरपंच
48. तहसीलदार सेडवा/धनाउ

रेस्पो....

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी सेडवा जिला बाडमेर दिनांक 13 जनवरी 2023 अपील संख्या 02/2021 अनवान हसीना व अन्य बनाम ग्राम पंचायत सांवा इत्यादि

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

उपस्थित–
श्री पीराणे खां, अधिवक्ता–अपीलाण्ट
श्री बरकत खां मेहर, अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या 43 से 46
रेस्पो. 48 की ओर से राजकीय अधिवक्ता

नि र्ण य

दिनांक : 29 जुलाई 2024

अपीलाण्ट ने उपखण्ड अधिकारी सेडवा, जिला बाडमेर द्वारा अपील संख्या 02/2021 अनवान हसीना व अन्य बनाम ग्राम पंचायत सेडवा इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 13 जनवरी 2023 के खिलाफ आलौच्य अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की है। साथ ही एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील अन्दर मियादशुमार किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेडवा जिला बाडमेर के समक्ष हसीना, समिना, अमजद एवं अमिना (वर्तमान अपील में रेस्पो. संख्या 43 से 46) ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत एक अपील प्रस्तुत कर ग्राम हरचंदाणियों की ढाणी पटवार हळका सांवा तहसील सेडवा स्थित आराजी खसरा संख्या 173 रकबा 12 बीघा 09 बिस्वा, खसरा संख्या 177 रकबा 41 बीघा 08 बिस्वा, ग्राम जाणियों की बस्ती पटवार हळका सांवा, तहसील सेडवा स्थित खसरा संख्या 471 रकबा 94 बीघा 18 बिस्वा, खसरा संख्या 368 रकबा 125 बीघा 07 बिस्वा, ग्राम कानाणियों की ढाणी पटवारी हळका सांवा तहसील सेडवा स्थित खसरा संख्या 318 रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा व ग्राम सांवा पटवार हळका सांवा तहसील सेडवा स्थित आराजी खसरा संख्या 300 रकबा 15 बीघा 12 बिस्वा, खसरा संख्या 385 रकबा 31 बीघा 18 बिस्वा व खसरा संख्या 262 रकबा 36 बीघा 03 बिस्वा बाबत म्युटेशन संख्या 54, 55, 57, 58 व 68 दिनांक 20 सितम्बर 2017 व म्युटेशन संख्या 2312, 2313 दिनांक 5 अक्तूबर 2017 अपास्त किये जाने व मृतक मोहम्मद अली के विधिक वारिसान (वर्तमान अपील में रेस्पो. संख्या 43 से 46) के पक्ष में म्युटेशन स्वीकृत कराये जाने का निवेदन किया। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त अपील जरिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 13 जनवरी 2023 को स्वीकार कर ली गयी, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के तहत आलौच्य द्वितीय अपील अदालत हाजा में प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना एवं नोटिस की सम्यक समुचित तामील हुए बिना ही इकतरफा कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया, जिसकी समुचित समय में अपीलाण्ट को कोई जानकारी नहीं हो पायी। वर्तमान में राजस्व रेकर्ड की नकल लेने पर अपीलाधीन इकतरफा आदेश बाबत दिनांक 21 मार्च 2023 को होने पर आवश्यक कार्यवाही

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

कर आलौच्य अपील जानकारी की दिनांक से निर्धारित समय सीमा में प्रस्तुत कर दी गयी। अतः मियाद प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियादशुमार की जावे। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने यह भी जाहिर किया कि रेस्पो. संख्या 43 से 46 की ओर से प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील निर्धारित समय सीमा व्यतीत होने के बाद पेश की गयी, जो मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने योग्य होते हुए भी प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के खिलाफ इकतरफा कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया, जो न्यायोचित एवं विधिसम्मतः नहीं है। अपने कथन के समर्थन में अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने 2023(2) डीएनजे (राज.) 583 उद्धरित की। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने जाहिर किया कि विभिन्न म्युटेशनों बाबत एक ही अपील पेश नहीं की जा सकती, किन्तु प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इस बिन्दु बाबत कोई विचार नहीं किया और अलग–अलग नामान्तरकरणों बाबत प्रस्तुत एक ही अपील चलने योग्य नहीं होते हुए भी स्वीकार करने में गम्भीर त्रुटि की है। इस संबंध में अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने 1994 आरआरडी 85 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया। 2022 (29) आरबीजे 370 उद्धरित करते हुए अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने यह भी कथन किया कि म्युटेशन की कार्यवाही एक फिस्कल कार्यवाही होती है जिसके जरिये खातेदारी अधिकारों का विनिश्चयन नहीं किया जा सकता है, यदि भूमि बाबत कोई अपना स्वामित्व चाहता है तो सक्षम न्यायालय में अपने अधिकारों बाबत दावा प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र है। अंत में अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या 43 से 46 ने कथन किया कि वादग्रस्त आराजियात के सहखातेदार मोहम्मद अली के देहान्त के समय उसके पांच वारिसान (पत्नी हसीना, पुत्री समिना, पुत्री अमिना, पुत्र अमजद व पुत्र फकीरा) थे, में म्युटेशन फकीरा द्वारा रेस्पों. संख्या 43 से 46 की जानकारी के बिना ही अकेले अपने नाम स्वीकृत करवा लिये गये, जो विधि–विरूद्ध होने से अपीलाधीन आदेश के जरिये खारिज करने में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा कोई अनियमितता अथवा विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। अतः अपील अपीलाण्ट मियादबाधित एवं सारहीन होने से खारिज की जावे।

रेस्पो. संख्या 48 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। जहॉ तक अपील मियादशुमार किये जाने का प्रश्न है, न्यायहित में गुणावगुण पर प्रकरण का विनिश्चयन किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने से मियाद जैसे तकनीकी बिन्दु बाबत नरम रवैया अपनाते हुए अपील अन्दर मियादशुमार की जाती है।

उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि वादग्रस्त आराजियात के सहखातेदार मोहम्मद अली के देहान्त के समय उसके पांच वारिसान (पत्नी हसीना, पुत्री समिना, पुत्री अमिना, पुत्र अमजद व पुत्र फकीरा) होने के तथ्य का अपीलाण्ट द्वारा किसी ठोस आधार पर कोई खण्डन नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में मामला गुणावगुण

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

के आधार पर रेस्पों. संख्या 43 से 46 के पक्ष में सिद्ध होने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन आदेश दिनांक 13 जनवरी 2023 न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पाया जाता है। वादग्रस्त आराजियात के सहखातेदार मोहम्मद अली के देहान्त पर अपीलाण्ट के पक्ष में वादग्रस्त आराजियात बाबत स्वीकृत म्युटेशन बाबत रेस्पो. संख्या 43 से 46 को प्रारम्भ से जानकारी होना भी अपीलाण्ट द्वारा साबित नहीं किया गया है, अतः न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेडवा के समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील को मियादशुमार करने में भी प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि अथवा अनियमितता किया जाना प्रकट नहीं होता है। इसके विपरीत प्रथम अपीलीय न्यायालय की पत्रावली में पेज 73 पर अपीलाण्ट को रजिस्टर्ड एडी डाक से भिजवाये गये सम्मन की प्रति मय पोस्टल रसीद उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में तत्कालीन सीपीसी के प्रावधानानुसार निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के बाद सम्मन की सम्यक एवं समुचित तामील मानने में भी प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि किया जाना नहीं पाया जाता है।

उपरोक्त समस्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पायी जाती है जो तदनुसार खारिज की जाती है और प्रथम अपीलीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेडवा, जिला बाडमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13 जनवरी 2023 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29 जुलाई 2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29.07.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर